(छछ) ''प्राप्ति'' से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास–वस्तु के लिए, सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;''।

3. **धारा 5–क का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5–क की उपधारा (3) में ''ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, ''शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''विहित रीति में '' शब्द रखे जाएंगे ।

4. **धारा 6–ङ का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 6–ङ में,–

(क) शीर्षक में ''जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों'', शब्दों के पश्चात् ''या पिछड़ी पंचायतों'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों या पिछड़ी पंचायतों में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी और नए होटलों, ऐसे जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात् और ऐसी पिछड़ी पंचायतों में प्रथम अप्रैल, 2013 के पश्चात् प्रवर्तन में आए हैं, के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास–वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी।"; और

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् आए विद्यमान "स्पष्टीकरण" को "स्पष्टीकरण-I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण-II अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''स्पष्टीकरण-II.—इस धारा के प्रयोजन के लिए पिछड़ी पंचायतों से ऐसी पंचायतें अभिप्रेत हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पिछड़ी पंचायतें अधिसूचित किया जाए।''।

5. **2013 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.**––(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 01 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT ACT, 2013

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH JANUARY, 2014)

AN

ACT